9/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपप्रकरण
राजस्व अ० में प्रस्तुत होने पर सुनवाई
प्रार्थना पत्र। संलग्न पटवारी/तहसीलदार रिपोर्ट तहसीलदार
निर्णयों का अवलोकन किया गया जिससे
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विधि
पृथक से लिखाया जाकर पारित
किया गया। पत्रावली बाद फैसला दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(राज०)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 50/2021 पीठासीन अधिकारी

रज्जू दिनांक : 22–12–2021 **श्री नरेन्द्र कुमार मीना (आर.ए.एस.)**

रामोती देवी पत्नी कालूराम जाति मीना उम्र वर्ष निवासी चौखण्डया की ढाणी निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थीया)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट हाल तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

(अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

निर्णय **दिनांक :** 9/3/25

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खरीद शुदा कब्जे काश्त की सहखातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 441 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा वाकै ग्राम निर्झरना पटवार हल्का निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजीया तमे बतौर खातेदार हिस्सा 60/242 प्रार्थीया का तथा शेष हिस्सा व अन्य खातेदारान के नाम से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थीया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे रामजीलाल अंकित है जबकि प्रार्थीया के पति का वास्तविक नाम कालूराम है तथा अन्य दस्तावेजात मे भी प्रार्थीया के पति का नाम कालूराम ही अंकित है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र, आधार कार्ड, राजस्थान सरकार के भामाशाह कार्ड मे प्रार्थीया के पति का नाम कालूराम मीना अंकित तथा तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रार्थी के पुत्र नेमीचन्द के नाम जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र एंव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा कक्षा दसवीं की जारी अंकतालिका में पिता के नाम के स्थान पर मुझ प्रार्थीया के पति का नाम कालूराम मीना अंकित है जो बिलकुल सही है। समस्त दस्तावेजात की फोटो प्रति सेवामें प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित खसर नं0 441 को पूर्व खातेदार रामनारायण पुत्र किशनचन्द मीना निवासी जयपुर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उसके हिस्सा 60/242 की भूमि दिनांक 12–10–2011 को क्रय की थी। उक्त विक्रय पत्र में प्रार्थीया के पिता का सहबन से कालूराम के स्थान पर रामजीलाल दर्ज हो गया तथा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ही जरिये नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीया के पति का नाम रामजीलाल अंकित हो गया जबकि प्रार्थीया के पति का वास्तविक नाम कालूराम है जो सही है प्रार्थीया के ससूर श्रवणलाल के रामजीलाल नाम का कोई पुत्र नही है और ना ही प्रार्थीया के पति के अलावा ग्राम निर्झरना चौखण्डया की ढाणी में कालूराम पुत्र श्रवण नाम का कोई अन्य व्यक्ति है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया के पति का नाम सहबन से रामजीलाल अंकित हो गया है जिसे दुरूसत किया जाकर रामजीलाल के स्थान पर कालूराम किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है। प्रार्थीया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत अंकन होने की वजह से के.सी.सी. लोन एवं अन्य सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार लालसोट हाल तहसील निर्झरना से दुरूस्ती इन्द्राज बाबत रिपोर्ट ली गई जिसे शामिल मिसल कर रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार निर्झरना ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित आराजी खसरा नं0 441 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा (3.0601 हैक्टेयर) वाकै निर्झरना तहसील निर्झरना जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पति का नाम रामजीलाल पुत्र श्रवण का नाम दर्ज को दुरूस्त कर उसके स्थान पर कालूराम पुत्र श्रवण किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 441 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा (3.0601 हैक्टेयर) वाकै निर्झरना तहसील निर्झरना जिला दौसा में स्थित कृषि के राजस्व अभिलेख मे दर्ज प्रार्थी के पति का नाम रामजीलाल पुत्र श्रवण का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर कालूराम पुत्र श्रवण नाम का अंकन किये जाने हेतू तहसीलदार निर्झरना को आदेश दिये जाते है कि राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे इस आशय की तहसीलदार निर्झरना को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7|3|25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी, लालसोट